नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Rajdhani - 06 Jul 2025 - 06raj1
epaper.navabharat.news

शराब घोटाला: ईओडब्ल्यू पूरक चालान लेकर पहुंची स्पेशल कोर्ट, न्यायाधीश छुट्टी पर

अब आगे सोमवार को सुनवाई संभावित, नोटिस पर आबकारी अफसर भी पहुंचे

नवभारत ब्यूरो । रायपुर।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू/एसीबी के अधिकारी शनिवार को निर्धारित समय पर पांचवां पूरक चालान लेकर विशेष न्यायालय, रायपुर पहुंचे। दर्जनों की संख्या में अफसरों के नाम लिखी तख्तियां लाल बस्ते में बांधकर कोर्ट रूम के बाहर रखी गई। नोटिस पर वे सभी आबकारी अधिकारी भी पहुंचे, जिनको कोर्ट में पेश किया जाना था। इस बीच ईओडब्ल्यू/एसीबी को खबर मिली कि शराब घोटाले की नियमित सुनवाई कर रहे न्यायाधीश नीरज शर्मा अवकाश पर हैं, तब कार्यवाहक न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर को

चालान की जानकारी दी गई। उन्होंने भी इस मामले में नियमित न्यायाधीश द्वारा सुनवाई का हवाला देते हुए लंबित कर दिया और सोमवार को चालान पर आगे सुनवाई की जानकारी दी। आबकारी सूत्रों ने बताया कि ईओडब्ल्यू/एसीबी ने किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी रिकार्ड में शो नहीं की है। इसके बाद सभी आबकारी अधिकारी वहां से एक-एक कर रवाना हो गए, जो सोमवार को फिर न्यायालय में पेश होंगे। मालूम हो कि शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू/एसीबी ने राज्य शासन से अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद चालान पेश करने की तैयारी की थी। उसने आबकारी अफसरों को नोटिस भी जारी किया गया था। बताया गया कि आबकारी अफसरों की तरफ से भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के दो निजी अधिवक्ता भी कोर्ट रूम के बाहर मौजूद रहे।